loutpouy (M-07) 1653/16 (671 / 24/11/2016)

MB 44/15 8-2/3

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	: IN-UP01287105536146N
Certificate Issued Date	: 28-Jul-2015 04:50 PM
Account Reference	: NONACC (BK)/ upsbdok02/ MORADABAD/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPABDBK02015067192873558N
Purchased by	: SHAIL INFRATECH LIMITED
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: PROPERTY SITUATED AT HARTHALA EHATMALI, MORADABAD
Consideration Price (Rs.)	: 47,96,000 (Forty Seven Lakh Ninety Six Thousand only)
First Party	: DEEPAK KUMAR AND OTHERS
Second Party	: SHAIL INFRATECH LIMITED
Stamp Duty Paid By	: SHAIL INFRATECH LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 3,36,000 (Three Lakh Thirty Six Thousand only)

17890 / 20

Verified By   Locked By

Please write or type below this line.

31/15/16

0001279821

[redacted]

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

बयनामा

बयनामा	47,96,000/–रू0
मालियत	47,96,000/–रू0
स्टाम्प	3,36,000/–रू0

हम कि राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री बृजगोपाल जी व श्रीमती उषा रानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार व दीपक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार व श्रीमती वैशाखा पत्नी श्री अनुज कुमार निवासीगण सिविल लाईन्स शहर व जिला मुरादाबाद विक्रेता (प्रथम पक्ष) एवम् शैल इन्फ्राटेक लि0 एम0आई0जी0 ए–138 रामगंगा विहार फेस प्रथम मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री आकाश अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र

अग्रवाल निवासी बी–17, 18 मधुर ग्रीन विलाज रामगंगा विहार फेस द्वितीय शहर व जिला मुरादाबाद क्रेता (द्वितीय पक्ष) के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता संख्या 314 खसरा संख्या 522 रकबई 0.039 हैक्टे0 व खसरा संख्या 523 रकबई 0.1275 हैक्टे0 कुल दो किते कुल रकबई 0.1665 हैक्टे0 लगानी सालाना 4.10 रूपये स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) बजरिये बयनामा इकरारी नीरज कुमार गुप्ता बयनामा पंजीकृत दिनांक 13.04.2005 वही संख्या 1 जिल्द संख्या 4820 पृष्ठ संख्या 65/88 कम संख्या 1818 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय मुरादाबाद बहैसियत भूमिधर

मालिकाना मालिक काबिज व दखील है। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नही है। विक्रय की जाने वाली आराजी इस वक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी व गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी व पाक व साफ है। गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत विक्रेता (प्रथम पक्ष) ने किसी अन्य व्यक्ति को इकरारनामा या बयनामा नही

किया है तथा न ही इस आराजी की बाबत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के पूर्णतया अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 47,96,000/–रू0 (सैंतालीस लाख छियानवे हजार रूपये) आधे जिसके 23,98,000/–रू0 (तेईस लाख अट्ठानवे हजार रूपये) होते हैं द्वितीय पक्ष (क्रेता) (शैल इन्फाटेक लि0 एम0आई0जी0 ए–138 रामगंगा विहार फेस प्रथम मुरादाबाद) को बय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्ब तफसील जैल

द्वितीय पक्ष क्रेता से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है। आज के बाद से आराजी मजकूर की बावत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय

मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कोई सर्फा मजीद खर्चा अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियाँ व जिम्मेदारियाँ प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी। अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले। प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।

<u>नोट</u>— विक्रेतागण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है। मौके पर तथा आस—पास खेती हो रही है। आराजी में कोई पेड़, कूप, भवन व बोरिंग आदि नही है। विक्रेतागण ने उपरोक्त विक्रीत खसरा नम्बरान में अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा अब विक्रेतागण का उपरोक्त विक्रीत खसरा नम्बरान में कोई भाग शेष नही रहा है।

<u>तफसील वसूली जरे समन</u>–मुबलिग 47,96,000/–रू0 इस प्रकार कि 11,57,600/–रूपये बजरिये चैक संख्या 557789 दिनांक 21.7.2015 व 11,57,600/–रूपये बजरिये चैक संख्या 557790 दिनांक 21.7.2015 स्टेट बैंक आफ इण्डिया मुरादाबाद व 11,57,600/–रूपये बजरिये चैक संख्या 115507 दिनांक 20.11.2014 व 11,57,600/–रूपये बजरिये चैक संख्या 115506 दिनांक 20.11.2014 स्टेट बैंक आफ पटियाला मुरादाबाद व 41,400/–रूपये बजरिये चैक संख्या 006265 दिनांक 29.7.2015 व 41,400 बजरिये चैक संख्या 006264 दिनांक 29.7.2015 व 41,400/–रूपये बजरिये चैक संख्या 006262 दिनाक 29.7.2015 व 41,400/–रूपये बजरिये चैक संख्या 006261 दिनांक 29.07.2015 सभी चैक प्रथमा बैंक मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये हैं ।

अंकन 3,36,000/–रूपये का ई–स्टाम्प सार्टिफिकेट संख्या **IN-UP01257106536146N** अदा किया गया है।

विक्रेता विक्रेता विक्रेता विक्रेता

क्रेता

सा0 सा0

बयनामा हाजा आज दिनांक 30–07–2015 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सौरभ नन्दन ने टाईप किया है।

सुभाष चन्द्र माथुर
एडवोकेट
35, आवास विकास सिविल ...
मुरादाबाद

नक्शा नजरी आराजी कास्त भूमिधरी खसरा संख्या 522 रकबाई 0.038 हैक्टे० व खसरा संख्या 523 रकबाई 0.1275 हैक्टे० कुल दो किते कुल रकबाई 0.1655 हैक्टे० स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद

प्रथम पक्ष – राजेन्द्र कुमार आदि

द्वितीय पक्ष – शैल इन्फ्राटेक लि०

नोट– विवादित आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूरी तक खेती हो रही है।

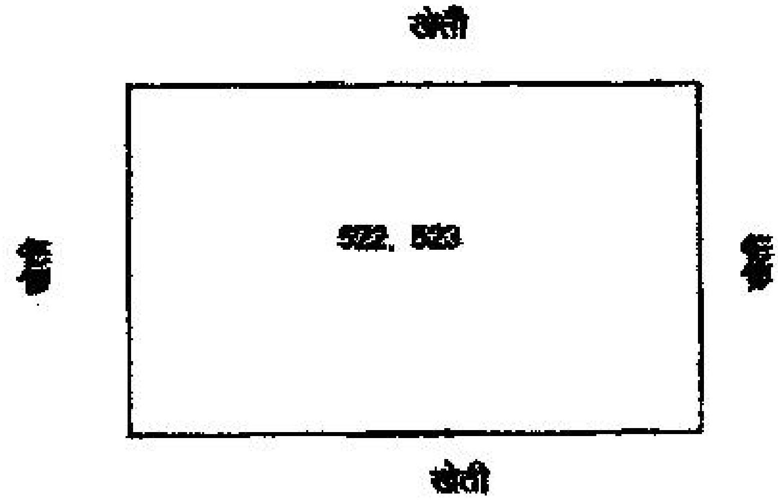

आज दिनांक **19/02/2016** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **10287**

पृष्ठ सं. **191** से **210** पर क्रमांक **1653**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के0 के0 [illegible] प्रभारी

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

19/2/2016

[illegible] 65+66 [illegible]
[illegible] दाखिल [illegible]